

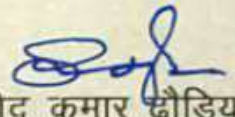
कार्यालय— मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

आदेश संख्या : मान्यता आर.टी.ई. // 6159-6³ नवीनीकरण / 2025-26 / दिनांक 28-10-2025

नवीनीकरण आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक अशा0(बे0)/15-क/4234-39 /मान्यता/2019-20 दिनांक 25.06.2019 के द्वारा रेनसां द्रोण, स्कूल, चांदमारी रोड़ निकट रेलवे क्रासिंग, डोईवाला, देहरादून (मान्यता कोड-1076) को प्री प्राइमरी से कक्षा-8 तक अंग्रेजी माध्यम से विद्यालय संचालन की अनुमति दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2024 तक प्रदान की गयी थी। आपके द्वारा प्रस्तुत स्वघोषणा पत्र एवं उप शिक्षा अधिकारी डोईवाला की स्थलीय निरीक्षण आख्या में मान्यता नवीनीकरण की संस्तुति के आधार पर उक्त विद्यालय को प्री-प्राइमरी से कक्षा-08 तक अंग्रेजी माध्यम (ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 94319 दिनांक 28.03.2024) विद्यालय संचालन की अनुमति दिनांक 01.04.2024 से आगामी 05 वर्षों के लिये मान्यता नवीनीकृत किया जाता है और 05 वर्ष उपरान्त नवीनीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य है। पूर्व आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

नोट-नियमानुसार आगामी सत्र में डी.एल.एड.,टी.ई.टी.-1,2 शिक्षकों की तैनाती करना सुनिश्चित करें।

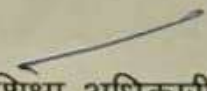

(विनोद कुमार डौडियाल)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।

पृ0सं0 /मान्यता आर.टी.ई./

/नवीनीकरण/2025-26 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0), देहरादून।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर0टी0ई0 नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय-समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत निरीक्षण करते रहें।
5. सम्बन्धित प्रबन्धक/व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य।


मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।